विधान सभा कार्य/
परम अग्रता

विषयः– हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन–विधान सभा कार्य को तुरन्त निपटाने बारे ।

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन **20 फरवरी, 2024 को प्रात 11.00 बजे आरम्भ होगा ।** अतः इससे सम्बन्धित कार्य प्रत्येक स्तर पर परम अग्रता से किया जाना आवश्यक है । अतः उनसे अनुरोध किया जाता है कि :–

1) कृपया सुनिश्चित करें कि विधान सभा **प्रश्नों/ध्यानाकर्षण** प्रस्तावों के उत्तर विधान सभा में समय पर पहुंच जायें । इस सम्बन्ध में उनका ध्यान सचिवालय अनुदेश पुस्तिका प्रथम संस्करण 1989 के पैराग्राफ 346(सी) की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार विधान सभा प्रश्नों के उत्तर देय तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने होते हैं। इस का कड़ाई से पालन किया जाये । यदि किसी कारणवश उत्तर तैयार करने में देरी हो तो ऐसे हालात में कम से कम 24 घन्टे पूर्व प्रश्न के उत्तर की प्रतियां हरियाणा विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दी जायें । कई मामलों में यह देखने में आया है कि प्रश्नावधि जिसके दौरान उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना होता है प्रातः 11.00/2.00 बजे सांय आरम्भ होती है और प्रश्न के उत्तर की प्रतियां शाखा में क्रमशः प्रातः 9.15/1.45 बजे सायं उपलब्ध कराई जाती हैं । इससे सरकार के लिये बड़ी embarrassing स्थिति उत्पन्न हो जाती है । उनसे अनुरोध किया जाता है कि विधान सभा प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षित प्रतियां उन प्रश्नों के उत्तर देने की निर्धारित तिथि से **एक दिन पूर्व संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) में दोपहर 1.30 बजे तक हर हालत में उपलब्ध करवा दी जाया करें और यदि किसी प्रश्न के सम्बन्ध में ऐसा करना सम्भव न हो तो उसके कारण लिखित रूप में एक दिन पहले चार बजे तक संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को अवश्य सूचित कर दिये जाया करें । किसी भी प्रकार की देरी के लिये प्रशासकीय सचिव की निजि जिम्मेदारी होगी ।**

2) विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तथा 'नोट फोर दी पैड' में दी गई सूचना हर प्रकार से ठीक होनी चाहिये । उत्तर के साथ **'इन्डैक्स आफ इन्फारमेशन'** भी लगाया जाये । यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों का निजि उत्तरदायित्व होगा। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि विधान सभा **तारांकित प्रश्नों** के उत्तर की **10–10 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी)** तथा **अतारांकित प्रश्नों** के उत्तर की **10–10 प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी)** विधान सभा को भेजी जानी हैं ।

3) यदि सचिव, हरियाणा विधान सभा द्वारा भेजा गया प्रश्न/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उस विभाग को भेज दिया जाता है जिस से वह सम्बन्ध नही रखता तो उस विभाग के प्रशासकीय सचिव की यह जिम्मेवारी है कि वह उसे सम्बन्धित विभाग के प्रशासकीय सचिव को भिजवायें व इसकी एक प्रति सूचनार्थ सचिव, हरियाणा विधान सभा, मुख्य मंत्री सचिवालय, तथा संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को भी भेजें । ऐसे प्रश्न किसी भी दशा में सचिव, हरियाणा विधान सभा को वापिस न भेजे जायें । सभी प्रशासकीय सचिव अपने विभागों से सम्बन्धित अधिवेशन के दौरान उठाये गये मुद्दे नोट करें व उसी दिन उस बारे अपनी टिप्पणी प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव महोदय को भिजवायें ।

4) प्रत्येक विभाग में जिस अधिकारी को विधान सभा के प्रश्नों, ध्यानाकर्षण नोटिसों आदि से सम्बन्धित कार्य सौंपा गया हो, उसके नाम तथा पद की सूचना (कार्यालय तथा आवास

टेलीफोन नम्बर सहित) संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) व मुख्य मंत्री सचिवालय को विशेष वाहक द्वारा तत्काल भिजवाना भी सुनिश्चित किया जाये ।

5) विधान सभा में प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों, (सिवाय अध्यादेशों एवं बिलों के) जो कि अधिवेशन के दौरान सदन के पटल पर रखे जाने है, के **प्रत्येक दस्तावेज की 5–5 प्रतियां तथा अध्यादेशों की 200–200 प्रतियां हिन्दी व अग्रेजी में (एक–एक प्रमाणित प्रति सहित) एवं बिलों की एक–एक प्रमाणित/जॉची गई प्रति हिन्दी व अग्रेंजी में एवं तीन–तीन प्रतियां (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) हिन्दी व अंग्रेजी में** हरियाणा विधान सभा सचिवालय को भिजवा दें एवं इनकी एक –एक प्रति हिन्दी व अग्रेंजी में नेवा पोर्टल पर भी अपलोड करें व सभी दस्तावेजों की 15 प्रतियां मुख्य मंत्री सचिवालय, एक–एक प्रति संसदीय कार्य मंत्री व तथा 6 प्रतियां संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को विशेष वाहक द्वारा तुरन्त भिजवा दी जायें । इसके अतिरिक्त (Bare Act) की प्रतियों को विधान सभा में ना भिजवाया जाये क्योंकि संशोधित होने वाले अधिनियम का अनुबंध प्रस्तावित संशोधन विधेयक के साथ पहले ही लगा होता है तथा आवश्यकता होने पर सम्बन्धित विभाग से विधान सभा द्वारा (Bare Act) की मंगवाई जा सकती है ।

6) अध्यादेश की प्रतियां हरियाणा विधान सभा को उनके ई–मेल आई–डी legislative.vs-hry@gov.in पर भी तुरन्त भेजी जानी हैं व इस मामले में सरकार के पत्र क्रमांक 3/8/2010–1 पोल दिनांक 29 फरवरी, 2016, जिसकी प्रति csharyana.gov.in पर political and parliamentary affairs में उपलब्ध है की अनुपालना सुनिश्चित की जाये । उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाये।

7) **विधान सभा में प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों, सरकारी प्रस्ताव/ विधान सभा प्रश्नों/स्थगन प्रस्तावों/ध्यानकर्षण नोटिस आदि को NeVA Portal पर भी अपलोड करें ।**

उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये।

अशोक
अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशाः क्रमांक 1/10/2009–1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 05.02.2024
पृ0 क्रमांक 1/10/2009–1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 05.02.2024

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अशोक
अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।